कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा अलवर–1

(निदेशालय विस्तार शिक्षा)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

नौगांवा – 301025, अलवर (राजस्थान), दूरभाष–01468–294276, मो.9424275467Email:- kvknavgaon@gmail.com

क्र/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2026–27/23–30 नौगांवा, (अलवर)दिनॉक :10.04.2026

दर निर्धारण खुली निविदा

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, जिला अलवर द्वारा निम्नानुसार सीलबन्द निविदाएं आमत्रिंत की जाती है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग निविदा भरें एवं निविदा सम्बन्धी सभी अर्हताएं एवं शर्ते निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी है एवं कार्यालय सुचना पट्ट तथा वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

1. कार्य का नाम व क्रमांक	**अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य**
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तिय वर्ष 2026–27
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/– रूपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
4. धरोहर राशि की प्रकृति	15000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट Senior Scientist and Head, KVK Navgaon के पक्ष में
5. कार्य की अनुमानित मात्रा	कृषि एवं सम्बन्धित कार्य,खेतों एवं फसल, बागवानी,रात्रि चौकीदार,सफाई कर्मी,मुर्गी एवं बकरी पालन आदि कार्य हेतू अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
6. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	21.04.2026 को सुबह 11.00 बजे तक
7. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	21.04.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक
8. निविदा खोलने की दिनांक व समय	21.04.2026 को दोपहर 1.30 बजे
9. पृष्ठ संख्या दो से चार	निविदा की शर्ते
10. परिशिष्ठ संख्या एक– पृष्ठ संख्या पांच	श्रमिकों की आपुर्ति कार्य हेतू दरों का विवरण
11. पत्राचार हेतु पता–वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर पिन नं. 301025	फोन नं.: 01468–294276 (कार्यालय) मोबाईल नं0– 9424275467 **Email:- kvknavgaon@gmail.com**
NIB :SKN2627A0004	UBN :SKN2627SSOB00005

निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

Senior Scientist & Head KVK, ALWAR-1

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

क्रं/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2026–27/24–30 नौगांवा, (अलवर) दिनॉक : 10.04.2026

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय,श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करें।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करें।
4. सस्थां सलाहकार समिति प्रभारी/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
5. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
6. कृषि विज्ञान केन्द्र/ कृषि महाविद्यालय/ कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा, अलवर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. रक्षित फाइल

Senior Scientist & Head KVK, ALWAR-1

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

निविदा की शर्तेः–

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिसपर **''अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य''** लिखा हो को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य प्रतिदिन के हिसाब से स्पष्ट रूप लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कार्यालय कार्य/शस्य क्रियायें आदि सम्बंधित वैज्ञानिक या फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले लघु औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी। जिनका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
4.	फार्म पर ऑफिस कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता ठेकेदार/फर्म की होगी।
5.	श्रमिकों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिकों को बदलने व निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
6.	श्रमिकों को आवश्यकता होने पर आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
7.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति में अगले आवश्यकतानुसार अथवा एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
8.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थो का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
9.	कार्यालय की सुरक्षा तथा फार्म क्षेत्र में लगे सभी उपकरण व सामान जिसमें नर्सरी, प्रर्दशन ईकाईयें मुर्गी, बकरी ईकाई, नैट हाउस, ट्यूब–वैल व फील्ड में लगे चारों तरफ के पेड़ों एवं बाउन्ड्री की चौकीदारी एवं सुरक्षा भी करनी होगी।
10.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11.	श्रमिकों को बीमार होने, दुर्धटना होने या अन्य श्रमिकों को क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपुर्ति नही करेगा।
12.	श्रमिकों को सभी कार्य समय पर प्रभारी अधिकारी, फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की मॉग के अनुसार करने होंगे यदि कोई श्रमिक कार्य समय पर नहीं करता है या प्रभारी अधिकारी कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्यालय द्वारा श्रमिक को अनुपस्थित करार दिया जायेगा व मजदूरी भुगतान नही किया जावेगा।
13.	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह समय पर अग्रिम करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय मे बिल प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान नियमानुसार ट्रेजरी से पास होने पर किया जावेगा।
14.	रात्रि चौकीदारी को छोड़कर शेष अन्य श्रमिकों के कार्य का समय सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक या शासन के नियमानुसार किया जावेगा।
15.	आकस्मिक दुर्घटना की दशा/लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार /श्रमिक की होगी।
16.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17.	निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GG& AR, TTPPA2012,वं RTPPR2013 के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार / फर्म की रहेगी। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
18.	सफल निविदादाता को 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
19.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
20.	समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड एवं विधिमान्य श्रमिक आपुर्तिकर्ता के रूप में

	पंजीकरण होना आवश्यक है जिनकी सत्यापित छायाप्रतियां निविदा के साथ संलग्न करें।
21.	अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
23.	उक्त वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
24.	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर/टीडीएस कटौती की जायेगी। जिसके लिए पेन कार्ड की स्वंसत्यापित प्रतिलिपि एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी श्रमिकों की आपुर्ति हेतू वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
25.	ठेकेदार / फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/ फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. श्रमिकों के नाम से उनके खातों में जमा कराना होगा जिसकी सत्यापित प्रति कार्यालय मे बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी एवं जिसका निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय–समय पर रिकार्ड जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
26.	सर्विस टैक्स/जीएसटी/ आयकर हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तथा सर्विस टैक्स/जीएसटी/ आयकर/ टीडीएसकटौती मान्य दरों से विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संस्था द्वारा ठेकेदार/फर्म के बिलों के भुगतान में से नियमानुसार काट ली जावेगी।
27.	बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
28.	श्रमिकों को न्युनतम मजदूरी भुगतान राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन/प्रतिमाह न्युनतम मजदूरी के अनुरूप करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय मे बिल प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ के भुगतान एवं खाते मे मजदुरी की राशि का स्थानान्तरण का बैंक विवरण पृथक रूप से पूर्ण विवरण के साथ सत्यापित कर सलग्नं कर प्रस्तुत करना होगा जिसकी जांच के उपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
29.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नहीं दिया जावेगा तथा कार्यालय की शर्तो के अनुरूप कार्य करना होगा।
30.	निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि के लिए रू. 15000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट Senior Scientist and Head, KVK Navgaon के पक्ष मेंप्रस्तुत करना होगा।
31.	➢ सीलबन्द एक लिफाफे तकनीकि रूप से सम्मिलित करने हेतू निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा। जिसके उपर बाहर **<u>तकनीकि दस्तावेज</u>** लिखा जावे। 1. निविदादाता/फर्म का श्रम विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति 2. सर्विस टैक्स/ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर/पेन कार्ड/ई.एस.आई./ई.पी.एफ.रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रतियां 3. सी.ए. से प्रमाणित तीन साल का टर्नओवर का प्रमाण पत्र 4. निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित। 5. धरोहर राशि के लिए रू. 15000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट 6. ठेकेदार / फर्म द्वारा घोषणा पत्र की फर्म काली सूची में नही है। एवं किसी सरकारी कार्यालय अथवा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालयकी कोई ईकाई द्वारा किसी प्रकार का मजदुरी भुगतान से सम्बन्धित आक्षेप लम्बित नही है। (प्रपत्र–ब) 7. अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो। ➢ सीलबन्द दूसरे लिफाफे मे वित्तिय रूप से सम्मिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं0 1 आवश्यक एवं अलग से रखा जावे। जिसके उपर बाहर **<u>वित्तिय दरें</u>** लिखा जावे। ➢ तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा। ➢ दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे मे बन्द कर कार्यालय मे प्रस्तुत किया जावें
32.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें। सेवा प्रदात्ता को सर्विस टैक्स/ सेवा प्रदात्ता का चार्ज के अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। अन्य सभी भुगतान श्रमिको के पक्ष में राजस्थान सरकार के श्रम विभाग एवं वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। तथा सभी सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
33.	प्रस्तावित दर अंको में स्पष्ट लिखकर देनी होगी किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

34.	निविदादाता/फर्म द्वारा पिछले तीन साल का टर्नओवर का प्रमाण पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
35.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार एवं वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के अनुसार लागु होगी।
36.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अर्न्तगत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही इस बोली में भाग लेने हेतू अर्हत होगें। पजीकरण प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेजों के साथ इस संस्था को प्रस्तुत करनी होगी।
37.	संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। श्रमिको के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाबत इस संस्था की संतुष्ट होने पर ही सवेंदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
38.	कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक भुगतान में यदि किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत होने पर शास्ति राशि रू. 500/– प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान में देरी से होने पर कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
39.	संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा। जिसमे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
40.	संवेदक को कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा भुगतान की गई राशि का पृथक चालान जमा करवाना होगा तथा गत माह के ई.पी.एफ. बिलो के भुगतान के ई.पी.एफ. चालान प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी माह के बिलों को भुगतान हेतू प्रोसेस किया जावेगा।
41.	राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
42.	श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसुचनाओं दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
43.	नियमानुसार टीडीएस एवं आयकर काटा जावेगा।
44.	कार्यो का भुगतान संतोषजनक होने पर ही प्रत्येक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
45.	बिना प्रतिफल वाली निविदा स्वीकार नहीं होगी।
46.	मै उपरोक्त शर्तो को पूर्ण करने हेतू पाबन्द रहूंगा।
47.	उक्त शर्तो को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी/संवेदक के हस्ताक्षर एवं मौहर कर दी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मौहर

नोट– निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी–

1. लिफाफा नं0 1 में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, **बिड सिक्यूरिटी के** DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि क्रमं. संख्या 31 के अनुसार प्रस्तुत की जानी है । इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं0 2 नहीं खोला जावेगा ।
2. लिफाफा नं0 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

1.बोलीदाता/संवेदक द्वारा दिए जाने वाले पंजीकरण जिसका विभिन्न पंजीकरण विवरण निम्नानुसार (**संलग्न लिफाफा नं. 1 में रखे**)

क्रंसं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न का क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

मैं ..... उक्त शर्तो के अधीन रहते हुए कृषि एवं सम्बन्धित कार्य हेतू अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ। सभी सम्बधित दस्तावेज, आयकर विवरणी, सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशन, PAN, GST नम्बर, बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (Declaration) सर्टिफिकेट सलग्ंन है।

हस्ताक्षर ठेकेदार

परिशिष्ट संख्या – 1

निविदादाता द्वारा अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य हेतू दरों का विवरण वर्ष 2026–27

क्रं सं	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यून्नतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिव्यक्ति दर (रुपये)	पीएफ दर प्रतिशत (13) (रु)	ईएसआई दर प्रतिशत (3.25) (रु)	सेवा प्रदात्ता का चार्ज दर प्रतिशत (प्रति श्रमिक प्रति दिवस के अनुसार) (रु)	कुल राशि (9= 5 से 8 का योग)
		कार्य हेतु आवश्यक मानव के साधन का प्रकार	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन (रुपये)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक	285					
2	अर्द्धकुशल श्रमिक	अर्द्धकुशल श्रमिक	297					
3	कुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	309					
4	उच्च कुशल श्रमिक	उच्च कुशल श्रमिक	359					

- सीलबन्द दुसरे लिफाफे मे वित्तिय रूप से समिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं0 1 एवं अलग से लिफाफा नं. 2 में रखा जावे। जिसके उपर बाहर **वित्तिय दरें** लिखा जावे।
- राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन न्युनतम मजदूरी के अनुरूप दरे रहेगीं तथा परिवर्तन होने पर परिवर्तित की जा सकेगी जो, वित्त नियंत्रक श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के आदेशानुसार होगी।
- **मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।**

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

प्रपत्र–ब

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंनें/ हमनें प्लेसमेन्ट कार्य / सेवा ईकाई द्वारा जहां कहीं भी श्रमिक आपुर्ति की है उस आपुर्ति में विगत तीन वर्षों में आपुर्ति सेवा ईकाईयों के संतोषप्रद कार्य करने / होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ऐजेन्सी /उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लेकलिस्ट नही किया गया है एवं किसी सरकारी कार्यालय अथवा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की कोई ईकाई द्वारा किसी प्रकार का मजदुरी भुगतान से सम्बन्धित आक्षेप लम्बित नही है।

मैं/हम घोषणा करता हू/करते है कि मेरा /हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में डिफाल्टर का कोई वाद लम्बित नही है तथा इस वियान्र्तगत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मौहर